अनवान– रणछा बनाम आईदान वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 344/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 344/2024
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थी– 1. रणछा पुत्र नागजी जाति कोली; निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. आईदान पुत्र भोमा 2. उकाराम पुत्र वीहा 3. उतमाराम पुत्र कस्तुरा 4. केकु पत्नि सवाई 5. गणेशाराम पुत्र वीहा 6. चेतन पुत्र सवाई 7. चिमना पुत्र नागजी 8. चिमना पुत्र टीकमा 9. जवाराराम पुत्र कस्तुरा 10. धना पुत्र देहला 11. धूमो पत्नि वीहा 12. नरसीराम पुत्र वीहा 13. पूनमाराम पुत्र वीहा 14. भेरा पुत्र सवाई 15. भारथा पुत्र कस्तुरा 16. मनोहर पुत्र भोमा 17. मांगीलाल पुत्र तुलछा 18. मोहन पुत्र टीकमा 19. लखाराम पुत्र कस्तुरा 20. वगताराम पुत्र कस्तुरा 21. वीरा पुत्र नागजी 22. शंकरा पुत्र भोमा 23. सालु पुत्र सवाई 24. हीरा पत्नि कस्तुरा 25. पारी पत्नि तुलछा जाति कोली, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा
26. एस.बी.आई.बैक शाखा प्रबंधक सेड़वा
27. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

अधिवक्तागण–प्रार्थी वकील –**श्री महिपालदान चारण**

विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 के वकील –**श्री दोष मोहम्मद**

निर्णय

दिनांक :– 07.01.2025

प्रार्थी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 25 का पैतृक संयुक्त खातेदारी खेत मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खाता संख्या 32 खसरा संख्या 578/187 रकबा 13.9050 हैक्टैयर किस्म बा0सो0 के आये हुऐ है। विवादित भूमि में प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 25 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, तथा प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 25 का वादग्रस्त खसरान की भूमि पर हिस्सा अनुसार कब्जा व काश्त है, कि मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खाता संख्या 32 खसरा संख्या 578/187 रकबा 13.9050 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 में वादी का 1/36 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा प्रार्थी के इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुल्ले हुऐ है। राजस्व रेकर्ड के हिस्सा के माफिक प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 25 मौके पर काबिज है तथा अपनी रहवासी झोंपिया, बाड़े, पशुबाडे व टांके बने हुऐ है। विवादित भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 25 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

अनवान— रणछा बनाम आईदान वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 344/2024

संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच में हिस्से पूर्ण रूप से खुल्ले हुए है परन्तु खेत के कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा होने से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है, तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त ले लगातार दंखलअन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम सेढों को तोड़ रहे है तथा जहां पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है एवं विप्रार्थीगण इस भूमि का बैचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है, इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, इसलिये प्रार्थी विप्रार्थीगण की सामलाती भूमि में से अपने हिस्सों की भूमि अलग करवाकर राजस्व रिकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवाना चाहता है, इसलिये अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अलग करवाना चाहता है जिस हेतु यह बंटवाडे का वाद पेश है। विप्रार्थीगण सामलाती भूमि का बेचान करने पर आमादा है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं हुआ होने के कारण सामलाती भूमि को विप्रार्थीगण बेचान करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है तथा विप्रार्थीगण संयुक्त भूमि का बेचान कर प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करवाने पर आमादा है तथा साथ ही प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में बेदखल करने पर आमादा है इन सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद विप्रार्थी संख्या 01 से 25 मौके व राजस्व रेकर्ड की स्थिति में भारी रद्दोबदल करने पर आमादा है ऐसे में प्रार्थी को यह अधिकार है कि वह विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर विप्रार्थीगण का प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप एवं बाधा उत्पन्न करने से रोकें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण व हस्तक्षेप आदि नहीं करें तथा जब तक भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं होता है तथा विप्रार्थीगण किसी प्रकार का बेचान आदि न करें, जिस हेतु यह वाद वास्ते पाने स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टता मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं तथा यदि विप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर भूमि आगे से आगे बेचान, रहन, तर्क, दान आदि कर देगें ऐसी सुरत में वाद की बहुलताएं बढेंगी, कानूनी जटिलताएं बढेंगी, प्रार्थी को तरह—तरह की मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। प्रार्थी हमेशा के लिए अपने जन्मसिंद्व हक से वंचित रह जाएगा। प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में संभव नहीं है। इस प्रकार कानूनी अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों आधार स्तम्भ मुझ प्रार्थी के पक्ष में है, जिससे प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी होनें से यह प्रार्थना पत्र बाबत जारी करनें अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। ग्राम मौजा फागलिया पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खाता संख्या 32 खसरा संख्या 578/187 रकबा 13.9050 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 [illegible] विप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही करावें। वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान वसीयत आदि नहीं करें, वादग्रस्त आराजी की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व विप्रार्थीगण जारी फरमावें।

प्रार्थी वकील द्वारा आवेदन पेश कर इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 344/2024 दिनांक 25.11.2024 मौजा फागलिया पटवार हल्का फागलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फागलिया के खसरा संख्या 578/187 रकबा 13.9050 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थी के कब्जे–काश्त में दखलदांजी स्वयं करे एवं न ही किसी के मार्फत करवायें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करे के संबंध में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा में आंशिक रद्दोबदल करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विचारित प्रकरण में प्रार्थी के आवेदन पत्र पर एकतरफा सुनवाई कर स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी आदेशिका में 7 दिवस में विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से तलबी जारी करने का आदेश पारित किया था। प्रकरण में एकतरफा स्थगन आदेश हेतु आदेश 39 नियम 3 सीपीसी में भी सुस्थापित नियम हैं कि विप्रार्थीगण को 7 दिवस के भीतर रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जाना आज्ञापरक हैं। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा एकतरफा स्थगन प्राप्त करने के पश्चात् विप्रार्थीगण को दिनांक 25.11.2024 से आदिनांक नोटिस के जरिए सूचित नहीं किया, जो विधि के आज्ञापरक प्रावधानों के घोर उल्लंघन होने से स्थगन आदेश इसी स्तर पर समाप्त किये जाने योग्य हैं तथा न्यायालय भी विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करने के लिये बाध्य होने से स्थगन की अवधि की समाप्त करने विधि द्वारा आबद्ध होने से प्रार्थी के पक्ष में जारी एकतरफा स्थगन इसी स्तर पर समाप्त किया जाना न्यायसंगत है। विप्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों पर आधारित वाद आवेदन प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है। उक्त स्थगन की वजह से विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के उपभोग उपयोग करने वचिंत हो रहे हैं तथा कृषि यन्त्र एवं राजकीय योजनाओं के लाभ हेतु भूमि के समर्पण, नामान्तरण, हस्तान्तरण नहीं कर पाने की वजह से सरकार की जन–कल्याणकारी योजनाओं से वंचित होने से विप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही हैं। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा की वज़ह से विप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के विपरीत प्रभाव पड़ने से अपूरणीय क्षति हो रही है। जिसकी भरपाई भविष्य में असम्भव होने से उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश निरस्त करवाने का विप्रार्थी अधिकारी है। विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

25.11.2024 को निरस्त फरमावें। विकल्प में निवेदन है कि स्थगन आदेश के विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करने से स्थगन आदेश में आंशिक रद्दोबदल करने हेतु रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त फरमावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया कि विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त है, जो न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये हैं इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज समझा जावें।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण वकील ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जवाब प्रस्तुत किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 की ओर से प्रस्तुत किया गया कि "प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के नाम से उक्त भूमि संयुक्त रूप से दर्ज हैं तथा हिस्से खुले हुऐ हैं तथा बहामी तौर पर बंटवाड़ा किया हुआ है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के कब्जे अनुसार रहवासी ढाणिया टांके एवं कुऐ बने हुऐ हैं सेढो को लेकर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है तथा न ही विप्रार्थी संख्या 03, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 ने बेचान की धमकी दी। जिसका जवाब इस प्रकार कि विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 ने प्रार्थी को कभी कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी नहीं दी न ही प्रार्थी की भूमि बेचान करने धमकियां दी। प्रार्थी को संयुक्त खातेदार होने के कारण विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 के विरूद्व इस आशय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जिसका जवाब इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 को मुलभुत आवश्यकतओं एवं सरकारी योजनाओं से वंचित रखने के आशय से वाद प्रस्तुत किया है। वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने पर उपरोक्त परिस्थितियो को दोहराते हुए स्थगन आदेश को मय पर्चा खारिज करने का आदेश फरमावें। विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 के कब्जे एवं अपने हिस्से की भुमि से स्थगन मुक्त किया जाने का आदेश फरमावें। अतः प्रार्थी के आवेदनपत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से मय पर्चा खारीज फरमाया जावे।"

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त अवलोकन किया गया। जिस पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध संबद्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का न्यायालय द्वारा विवेकसंगत अवलोकन किया गया, न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Scanned with OKEN Scanner

अनवान– रणछा बनाम आईदान वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 344/2024

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विप्रार्थी संख्या 03, 09, 15, 17, 19, 20, 24 और 25 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 344/2024 में दिनांक 25.11.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:43:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner